न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 76/2010 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2010/00107

उनवान

गोविन्द सिंह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी नगला हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर ,भरतपुर दिनांक 23.06.2010 प्र.सं. 24/2008 उनवान गोविन्द सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषगगण :–

1. वकील अपीलांट श्री तालेराम उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार श्री रविन्द्र फौजदार उपस्थित।

निर्णय दिनांक–10.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट की ओर से एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 01/0.16, 03/0.28, 25/0.20, 28/0.14, 29/0.13 वाके ग्राम नगला हथैनी तहसील भरतपुर का वादी/अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त हैं। उक्त हाल नम्बरान साविक खसरा नम्बर 01/0.18, 03/0.14, 25/1.6, 28/0.16, 29/0.15 से निर्मित हुये हैं। विवादग्रस्त आराजी वादी/अपीलाण्ट के पिता हीरालाल की खुदकाश्त व खेवट की आराजी है। विवादित आराजी संवत 2009 से 2016 तक हीरालाल की खुदकाश्त खेवट में रही। संवत 2017 में वादी/अपीलाण्ट को गैर मौरूसी दर्ज किया गया एवं वाद में गैर खातेदार दर्ज

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

किया जबकि खातेदार दर्ज करना चाहिये था। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून के खिलाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी वाके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर का अपीलाण्ट काबिज खातेदार काश्तकार है। परन्तु अपीलाण्ट को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता संवत 2013 में खुदकाश्त दर्ज थे और अपीलाण्ट संवत 2017 में गैर मौरूसी दर्ज है व हाल में गैर खातेदार दर्ज है। यह है कि खुदकाश्त वाले व्यक्ति को खातेदारी प्राप्त होगी इसे अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत भी अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट ने अपने दावा के समर्थन में जमावन्दी संवत 2013 व 2017 मिलान क्षेत्रफल एवं सवंत 2061 से 64 पेश किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 व 02 का फैसला करते वक्त यह लिखा कि वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है, जो कतई गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट अपने वाद को पुष्ट करने में असफल रहे हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट व उनके पूर्वज संवत 2012 एवं इससे पूर्व खुदकाश्त व गैर मौरूसी दर्ज नहीं रहे हैं एवं ना ही उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार है एवं ना ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने के लिए अनुतोष सहित 03 तनकियाँ कायम की गई हैं एवं प्रत्येक तनकी की साक्ष्यों से पूर्ण विवेचना की है। अपीलाण्ट/वादी अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नही हुई है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी किस प्रकार प्राप्त हुयी, का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

विवादित आराजी जमाबन्दी संवत 2013 प्रदर्श–3 में हीरालाल के खाते में खुदकाश्त दर्ज है व संवत 2017 प्रदर्श–4 में गोविन्द सिंह के नाम गैरू मौरूसी दर्ज है तथा संवत 2013 में विवादित भूमि पर डालचन्द खुदकश्त दर्ज है, जो कि आपस में विरोधाभासी हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने संवत 2012 की जमाबन्दी पेश नहीं की है जिससे यह ज्ञात हो सके कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक्ट लागू होने के पहले विवादित आराजी पर उनके अथवा उनके पूर्वज न्यारान्यूर काबिज आराजी रहे हों। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् तनकी संख्या 1 में तार्किक विवेचना की है एवं उचित रूप से अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध तय की है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः दावा मिस जोइंडर आफ पार्टी के दोष से भी ग्रसित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश शेष नही पाते हैं। अपीलाण्ट/वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहें हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2010 यथावत रखें जातें हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर